महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 3 मई, 2005

सं. टीएएमपी/14/2005-एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार पोतस्थल से कंटेनर यार्ड और विलोमतः कंटेनरों के प्रहस्तन/हटाने के लिए दरों के समायोजन हेतु फार्मूला अनुमोदित करने के लिए मुम्बई पत्तन न्यास के प्रस्ताव का निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/14/2005-एमबीपीटी

मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) ..... आवेदक

आदेश

(अप्रैल,2005 के 25वें दिन पारित किया गया)

यह मामला ईंधन मूल्य स्तर में घटबढ़ के संदर्भ में पोतस्थल से कंटेनर यार्ड अथवा विलोमतः कंटेनरों के प्रहस्तन/हटाने के लिए दरों में स्वतः समायोजन हेतु फार्मूला अनुमोदित करने के लिए मुम्बई पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है ।

2.1. एमबीपीटी द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों का सारांश नीचे दिया गया है :—

(i) पोतस्थल से कंटेनर यार्ड अथवा विलोमतः कंटेनरों के प्रहस्तन/हटाने के लिए दरें आरंभ में टीएएमपी

द्वारा दिनांक 4 मई,2004 के आदेश द्वारा तदर्थ आधार पर अनुमोदित की गई थीं । दिनांक 10 अगस्त,2004 के एक आदेश द्वारा ये दरें नियमित आधार पर अनुमोदित की गई थीं ।

अनुमोदित दरें निम्नानुसार हैं :–

20' वाला खाली कंटेनर	–	460/–रुपए
20' वाला लदा हुआ कंटेनर	–	565/–रुपए
40' वाला खाली कंटेनर	–	690/–रुपए
40' वाला लदा हुआ कंटेनर	–	847.50/–रुपए

(ii) निर्धारित एवं अनुमोदित दरें लागत आधारित नहीं थी, बल्कि निविदा प्रक्रिया से निकाली गई थीं।

(iii) एमबीपीटी संविदाकारों द्वारा उदधृत दरों पर प्रयोक्ताओं से कंटेनरों के दुलाई प्रभार वसूल कर रहा है और उपरिव्ययों की वसूली नहीं की जा रही है ।

(iv) निविदा की शर्त संख्या 5.16 के अनुसार संविदाकारों द्वारा उदधृत दरें ईंधन मूल्य में वृद्धि अथवा कमी के कारण घटबढ़ के शर्ताधीन हैं । ईंधन मूल्यों में 10% तक वृद्धि अथवा कमी के कारण संविदा दर में कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी । ईंधन मूल्यों में वृद्धि एक नियमित घटनाक्रम है। टीएएमपी को बार–बार पत्र लिखने को रोकने के लिए निम्नलिखित फार्मूला अपनाया जाए, जिसमें पीओएल मूल्यों में घटबढ़ के कारण संविदा दर में समायोजन किया जा सकेगा ।

$$V = \frac{(P-Po) \times R \times Q}{Po}$$

जिसमें

(क) V – विचाराधीन माह के दौरान किए गए कार्य के मूल्य R के लिए पीओएल के कारण समायोजन की राशि ।

(ख) Po – निविदा खोलने के समय पर मुंबई में एचएसडी का मूल्य ।

(ग) P – विचाराधीन माह के लिए एचएसडी का मूल्य ।

(घ) Q – संविदा की दरों में पीओएल के संघटक को दर्शाने वाला 0.25 का गुणांक ।

(ङ) R – विचाराधीन माह के दौरान क्रियान्वित कार्य का मूल्य ।

(v) निविदाओं को खोलने की तारीख अर्थात 4 फरवरी,2004 को विद्यमान ईंधन मूल्य 26009.09 रुपए प्रति किलोलीटर था । एचपीसीएल ने अपने दिनांक 2 फरवरी,2005 के पत्र द्वारा उल्लेख किया है कि मूल्य 19 अगस्त,2004 को बढ़कर 28839.94 रुपए प्रति किलोलीटर हो गया था तथा यह और बढ़कर 5 नवम्बर,2004 को 31376.37 रुपए प्रति किलोलीटर हो गया था ।

(vi) चूंकि, ईंधन मूल्य बढ़ गया है, इसलिए संविदाकार ने दर में वृद्धि करने का अनुरोध किया है । एमबीपीटी ने बढ़ी हुई दर अनुमोदित करने का टीएएमपी से अनुरोध किया है ।

2.2. बाद में, एमबीपीटी ने टंकण संबंधी त्रुटि का उल्लेख करते हुए प्रस्तावित दरें संशोधित कर दी थीं और निम्नलिखित संशोधित दरें सूचित की थीं :-

कंटेनर का आकार	दिनांक 1.8.2004 से लागू नई दरें (रुपए)	दिनांक 5.11.2004 से लागू नई दरें (रुपए)
20' वाला खाली कंटेनर	473	484
20' वाला लदा हुआ कंटेनर	580	594
40' वाला खाली कंटेनर	709	726
40' वाला लदा हुआ कंटेनर	871	891

3.1 निर्धारित परामर्श प्रक्रिया के अनुसार एमबीपीटी प्रस्ताव की एक प्रति संबंधित प्रयोक्ताओं/पत्तन प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधि निकायों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित कर दी गई थी ।

3.2 प्रयोक्ताओं से प्राप्त टिप्पणियां एमबीपीटी को पुनः जानकारी के रूप में अग्रेषित कर दी गई थीं।

4. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड में उपलब्ध हैं। प्राप्त टिप्पणियों का सारांश संबंधित पक्षों को अलग से भेज दिया जाएगा । ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध हैं ।

5. इस मामले की जांच–पड़ताल के दौरान एकत्रित समग्र सूचना के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति उभरती है :-

(i) इस प्राधिकरण ने एमबीपीटी के इसके द्वारा अधिग्रहण की गई जहाजी कुली सेवाएं प्रदान करने के लिए दरों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव पर सितम्बर,2003 में एक आदेश पारित करते हुए पत्तन को कंटेनर के लिए व्यापक सेवा और बॉक्स दरें वसूल करने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का परामर्श दिया था । कंटेनरों के लिए संयुक्त सेवा प्रदान करने की दिशा में एक कदम के रूप में पत्तन ने पोतस्थल से कंटेनर यार्ड अथवा विलोमतः कंटेनरों की ढुलाई का कार्य अपने हाथ में ले लिया था और पोतस्थल से कंटेनर यार्ड अथवा विलोमतः कंटेनरों के प्रहस्तन/हटाने के कार्य के लिए प्रभारों की वसूली हेतु दरें निर्धारित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया था । पत्तन द्वारा व्यक्त तात्कालिकता को देखते हुए प्रस्तावित दरों को आरंभ में तदर्थ आधार पर अनुमोदित किया गया था । बाद में, सामान्य परामर्श प्रक्रिया अपनाते हुए एमबीपीटी के प्रस्ताव की जांच–पड़ताल की गई थी और इस प्राधिकरण ने एमबीपीटी द्वारा पोतस्थल से कंटेनर यार्ड अथवा विलोमतः कंटेनरों की ढुलाई अपने हाथ में लिए जाने की तारीख अर्थात 15 मई,2004 से पोतस्थल से कंटेनर यार्ड अथवा विलोमतः कंटेनरों की ढुलाई के लिए पहले अनुमोदित दरों को नियमित करते हुए 10 अगस्त,2004 को एक आदेश पारित किया था ।

इस प्रसंग में, यहां पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि पत्तन ने कंटेनरों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए संयुक्त बॉक्स दर निर्धारित करते हुए हाल ही में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । इस प्रस्ताव की निर्धारित सामान्य परामर्श प्रक्रिया अपनाते हुए अलग से जांच–पड़ताल की जा रही है ।

(ii) पोतस्थल से कंटेनर यार्ड अथवा विलोमतः कंटेनरों की ढुलाई की सेवा पत्तन द्वारा अपने संविदाकारों के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिसके लिए एमबीपीटी अनुमोदित दरों पर प्रयोक्ताओं से कंटेनरों की ढुलाई के प्रभार एकत्र करता है । जैसाकि एमबीपीटी द्वारा सही उल्लेख किया गया है कि इस

प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरें लागत आधारित नहीं हैं, बल्कि इस सबंध में एमबीपीटी द्वारा अपनाई गई निविदा प्रक्रिया में सफल बोलीदाताओं द्वारा उल्लिखित दरें हैं । यहां यह नोट करना उल्लेखनीय है कि संबधित कार्यवाहियों के बीच में एमबीपीटी ने प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए संविदा दर की तुलना में कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की मांग की थी । यह अनुरोध इस प्राधिकरण द्वारा ठुकरा दिया गया था ।

एमबीपीटी के अनुसार, इसके द्वारा निष्पन्न ढुलाई संविदा में ईंधन के बाजार मूल्य में परिवर्तन के संदर्भ में संविदा मूल्य के समायोजन हेतु एक प्रावधान शामिल है । एमबीपीटी ने अपने आरंभिक प्रस्ताव में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया था । वस्तुतः, वर्तमान प्रस्ताव पूर्ववर्ती प्रस्ताव में की गई चूक को सुधारने के लिए है ।

पत्तन प्रशुल्क निर्धारण विनियमन की वर्तमान लागत वर्धित प्रणाली में एक अच्छे मॉडल का अनुसरण करता है । सामान्यतः प्रशुल्क निर्धारण हेतु माने गए लागू अनुमानों से विभिन्न निविष्टि लागतों में संभावित वृद्धि शामिल रहती है । जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है कि संदर्भगत प्रशुल्क मद के मामले में सामान्य लागत वर्धित दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया था, बल्कि प्रयोक्ताओं से वसूली के लिए संविदा दरों की अनुमति दी गई थी । यह मानते हुए कि कंटेनरों की ढुलाई के लिए केवल संविदा मूल्य वसूल किए जाएंगे और संबंधित दरों के बारे में एमबीपीटी द्वारा बाद में प्रकटन को देखते हुए संविदा में दी गई पद्धति में वृद्धि होना बिल्कुल निश्चित है, इसलिए एमबीपीटी के अनुरोध को स्वीकार करना तर्कसंगत होगा ।

(iii) महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 42 के अनुसार प्रदत्त चिन्हित सेवाओं के लिए उच्चतम दरें निर्धारित करने से संबंधित इस प्राधिकरण के आदेश का क्रियान्वयन न किए जाने के बारे में आईएमसी और बीसीएचएए ने उल्लेख किया है । ऐसा लगता है कि एमबीपीटी ने आदेश के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सूचना जारी की है, परंतु नौवहन कंपनियां इस मामले को अदालत में ले गई हैं । ऐसा समझा जाता है कि माननीय न्यायालय ने तर्क सुन लिए हैं और मामला जून,2005 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है ।

कंटेनरों के विभिन्न आवागमन के मूल/गंतव्य स्थानों के बारे में आईएमसी और बीसीएचएए द्वारा उठाई गई आपत्ति के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि मुद्दा मूल दर निर्धारण के लिए तर्कसंगत हो सकता है, जोकि इस समय विचाराधीन नहीं है । जैसाकि एमबीपीटी द्वारा सही उल्लेख किया गया है कि वर्तमान प्रस्ताव कंटेनरों की पोतस्थल और कंटेनर यार्ड के बीच ढुलाई से संबंधित है। एमबीपीटी द्वारा बॉक्स दरों की प्रस्तावित शुरूआत में प्रयोक्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समाधान किया जा सकता है । बॉक्स दरें निर्धारित करने के लिए कार्यवाहियां पहले ही आरंभ हो चुकी हैं और उक्त मामले में इन दोनों प्रयोक्ता संगठनों से भी परामर्श किया जा रहा है । यदि वे चाहें, वे संबंधित कार्यवाहियों में इस मुद्दे को उठा सकते हैं ।

(iv) एमबीपीटी ने अपने प्रस्ताव में अगस्त,2004 और नवम्बर,2004 में ईंधन मूल्य में वृद्धि पर विचार करते हुए मौजूदा दरों में उर्ध्वगामी संशोधन का प्रस्ताव किया है और दरों के ऐसे दो सैट के अनुमोदन हेतु अनुरोध किया है, जिनमें से दरों का एक सैट अगस्त,2004 और दरों का दूसरा सैट नवम्बर,2004 से प्रभावी होगा । एमबीपीटी के प्रस्ताव में इस प्राधिकरण के अनुमोदन हेतु एक फार्मूला भी शामिल है, जिसमें इस प्राधिकरण को बार–बार लिखने से बचने के लिए ईंधन मूल्यों में भावी वृद्धि को शामिल किया गया है ।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि आधार दरों का एक अनुमोदित सैट एमबीपीटी के पास पहले से ही उपलब्ध है, जोकि 15 मई,2004 से लागू है । इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित फार्मूला आधार दर पर लागू किया जा सकता है, ताकि अगस्त,2004 और नवम्बर,2004 में ईंधन मूल्यों में सूचित वृद्धि को ध्यान में रखा जा सके । यह उल्लेखनीय है कि एमबीपीटी ने स्वयं नवम्बर,2004 के बाद ईंधन मूल्यों में वृद्धि, यदि कोई हो, को शामिल करने के लिए ऐसी व्यवस्था का प्रस्ताव

किया है । इस प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अलग–अलग समय के लिए लागू की जाने वाली दरों के अलग–अलग सैट निर्धारित करे । यह उचित होगा कि यदि निविदा शर्त पर आधारित एमबीपीटी द्वारा सुझाया गया वृद्धि संबंधी फार्मूला 15 मई,2004 से पूर्व प्रभाव से अनुमोदित किया जाता है ।

6. परिणामतः और ऊपर दिए गए कारणों से यह प्राधिकरण एमबीपीटी के डॉक दरों के मान के भाग–V के उप भाग (ग) के खंड 3 के नीचे निम्नलिखित खंड 3.1 को शामिल करने का अनुमोदन करता है :–

भाग – V

"3.1. उपर्युक्त खंड 3 में निर्धारित दरें निम्नलिखित फार्मूला प्रयोग करते हुए ईंधन मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी के कारण समायोजन के शर्ताधीन हैं :–

$$V = \frac{(P-Po) \times R \times Q}{Po}$$

जिसमें

(क) V – आधार दर में समायोजन,

(ख) Po – निविदा खुलने के समय मुंबई में एचएसडी का मूल्य अर्थात 26009.09 रुपए प्रति किलोलीटर,

(ग) P – विचाराधीन माह के लिए एचएसडी का मूल्य,

(घ) Q – आधार दर में पीओएल के संघटक को दर्शाने वाला 0.25 का गुणांक,

(ङ) R – उपर्युक्त खंड 3 में दिए गए अनुसार टीएएमपी द्वारा अनुमोदित आधार दर ।

3.2. एमबीपीटी को ऊपर दिए गए फार्मूला का प्रयोग करते हुए आधार दरों को समायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है । समायोजन केवल तभी किया जाएगा, जब ईंधन मूल्य में घटबढ़ तत्काल पूर्ववर्ती दर समायोजन में माने गए ईंधन मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक है ।"

7. दरों के मान में उपर्युक्त संशोधन 15 मई,2004 से पूर्व–प्रभाव से अनुमोदित किया जाता है ।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/05–असा.]